



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

CIN: U40101UP2004SGC028687

संख्या: 904-पारे०अनु०-16/पाट्राकालि/2019-(74)/2013

दिनांक: 02 अप्रैल, 2019

कार्यालय ज्ञाप

विषय : उ०प्र० पावर कारपोरेशन ट्रान्समिशन लि० एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को, कानपुर के पेंशनरों की दिनांक 01.01.2016 के पूर्व लागू वेतन संरचना में स्वीकृत अनन्तिम पेंशन का सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय पर उ०प्र० शासन के ऊर्जा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2018/1550/24-पी-2-18-सा(144)/17, दिनांक 07.09.2018 के माध्यम से प्रदान की गई अनुमति के अनुक्रम में उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के अनन्तिम पेंशनरों के अनन्तिम पेंशन का पुनरीक्षण उ०प्र० शासन, वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016, दिनांक 23.12.2016 की व्यवस्थाओं के अनुसार निम्नवत् कराये जाने का आदेश किया जाता है-

- 1- उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के ऐसे अनन्तिम पेंशनर्स जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं एवं जिन्हें अपुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर अनन्तिम पेंशन प्राप्त हो रही है उनके अनन्तिम पेंशन का पुनरीक्षण प्राप्त हो रही अनन्तिम पेंशन को 2.57 के गुणांक के आधार पर सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित किया जायेगा।
- 2- दिनांक 01.01.2016 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त ऐसे कार्मिक जिनके वेतन का पुनरीक्षण किन्हीं कारणों से सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, उनके मामलों में अपुनरीक्षित वेतन के आधार पर अनुमन्य अनन्तिम पेंशन का पुनरीक्षण सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत 2.57 के गुणांक के आधार पर किया जायेगा।
- 3- मा० न्यायालय में विचाराधीन मामलों के कारण स्वीकृत अनन्तिम पेंशन के समस्त प्रकरणों का पुनरीक्षण सातवें वेतन आयोग में 2.57 के गुणांक के आधार पर किया जायेगा।
- 4- अनन्तिम पेंशनर्स जो 12 माह पूर्व अथवा अधिक अवधि से अनन्तिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं से सम्बन्धित (कोर्ट केस से सम्बन्धित अनन्तिम पेंशनर्स के मामलों को छोड़कर) अनन्तिम पेंशन के भुगतान अवधि के विस्तारण की अनुमति शासन द्वारा दिनांक 31.03.2019 तक ही प्रदान की गई है इसलिए ऐसे प्रकरणों में अनन्तिम पेंशन को दिनांक 31.03.2019 तक अन्तिम रूप से स्वीकृत कर अन्तिम पेंशन का पुनरीक्षण कारपोरेशन के आदेश संख्या-4561-पारे०अनु०-16/पाट्रा०का०लि०-2017, दिनांक 29.12.2017 के अनुसार सातवें वेतन आयोग में किया जायेगा।
- 5- शासन द्वारा सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत अन्तिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के अवशेषों का लाभ दिनांक 01.01.2018 से अनुमन्य कराये जाने की अनुमति प्रदान की है इसलिए उक्त आधार पर सातवे वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन के अवशेषों का लाभ भी दिनांक 01.01.2018 से ही भुगतान किया जायेगा।

उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत अनन्तिम पेंशन का पुनरीक्षण शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016, दिनांक 23.12.2016 के प्राविधानानुसार अनन्तिम पेंशन भुगतान आदेश जारीकर्ता अधिकारी स्तर से किया जायेगा।

भवदीय,

(ए0के0 श्रीवास्तव)
उपसचिव (पारेषण)

संख्या : 904-पारे0अनु0-16/पाट्टाकालि/2019 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
8. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ0प्र0।
9. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
11. समस्त उपमहाप्रबन्धक/उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ।
13. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
14. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब-साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।
15. कट फाइल।

आज्ञा से
(ए0के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (पारेषण)